



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23102026-277386
CG-MH-E-23102026-277386

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5542]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948

No. 5542]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 19 अक्टूबर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 37A के तहत

का.आ. 5759(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) खंड 2 की धारा 37A के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मध्य रेलवे के अंतर्गत “आमला-छिंदवाड़ा (AMF-CWA) सेक्शन पर किमी 988.524 स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या PC-21 और किमी 986.372 स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या PC-17 के स्थान पर ROB और LHS (2 नग) के निर्माण का प्रस्ताव” के कार्य को, मध्य प्रदेश राज्य के नागपुर मंडल में लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने तथा रेलवे परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण करने के लिए “विशेष रेलवे परियोजना” के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. G197/ROBs&LHS/RSP/LC PC-21&PC-17/NGP/SRP/37A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th October, 2026

Under clause 37A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5759(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the **“Proposed construction of ROB and LHS (2 Nos.) in lieu of Level Crossing No. PC-21 at Km 988.524 & Level Crossing No. PC-17 at Km 986.372 on Amla-Chhindwara (AMF-CWA) section”** as Railway Project under Central Railway and as **“Special Railway Project”** for acquisition of land in **Nagpur Division** in the State of **Madhya Pradesh**, for providing national infrastructure for a public purpose, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. G197/ROBs&LHS/RSP/LC PC-21&PC-17/NGP/SRP/37A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Con.)